

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

धारा—4(1)

बिन्दु कंमाक 3



निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली

प्रक्रिया का वर्णन



निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया


(अ) संचालनालय स्तर पर




(ब) संभागीय स्तर पर (कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री)



(स) उप संभागीय स्तर (सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक)




3.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने का स्तर



3.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था

संबंधित को सूचना भेजी जावेगी ।

3.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?



3.5 अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी —

संचालक कृषि अभियांत्रिकी

3.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण :-

क्र. सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	1. कृषि यंत्रों की दर निर्धारण 2. मशीनों की किराया दर निर्धारण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	1. यंत्रों के निर्माण में लगने वाले रॉ-मटेरियल की दर पर आधारित 2. मशीनों में लगने वाले स्पेयर्स व पी.ओ.एल. की दर पर आधारित
निर्णय लेने की प्रक्रिया	1. शासन द्वारा गठित समिति द्वारा 2. शासन स्तर से
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम एवं सम्पर्क सूचना	1. 1. संचालक कृषि अभियांत्रिकी (अध्यक्ष) 2. वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान , नवीवाग, भोपाल 3. उप महाप्रबंधक (इंजी.) म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल 4. कृषि यंत्री (अनुसंधान) भोपाल (सदस्य) 5. कृषि यंत्री (मुख्यालय) (सदस्य) 2. शासन स्तर
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	1. मध्य प्रदेश शासन 2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी , भोपाल